न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 32/2007 एवं 32अ/2007

श्री इब्राहिम खां पुत्र सुल्तान खां जाति मुसलमान चीता निवासी ग्राम ककलाना, देदूला बाडिया, ककलाना तहसील व जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्रा0प0 मायापुर तहसील व जिला अजमेर।
2. समुन्द्र खां पुत्र अब्दुल खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ककलाना तहसील व जिला अजमेर।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व बनाराजगी आदेश सरपंच ग्रा0प0 मायापुर नामान्तरकरण संख्या 123 व 124 दिनांक 15.08.2001 ग्राम ककलाना (हाल राजस्व ग्राम देदूला) तहसील अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री .... अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री ....अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय

दिनांकः– 20/7/22

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

ग्राम ककलाना (हाल ग्राम देदूला) स्थित्त कृषि भूमि ख0न0 1235, 1334, 1341, 1346 व 1354 रकबा 04–02–10 भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 02 के हिस्से की भूमि को अपीलार्थी के द्वारा जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 12.02.2001 को खरीद किया गया, तब से ही वे उस भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त खरीदशुदा भूमि के नामान्तरकरण तस्दीक हेतु अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ अधिकारी के समक्ष पेश किया गया किन्तु अधिनस्थ अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं पूर्ण जांच किये बिना ही अपीलाधीन नामा0 संख्या 123 व 124 दिनांक 15.08.2001 को निरस्त किया गया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 02 के हिस्से की भूमि जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र खरीद की गई है। शेष में अपीलान्ट का कब्जा है तथा क्रय भूमि का नामा0 हल्का पटवारी के द्वारा भरकर भू.अ.नि. द्वारा पुष्टि करने के बावजूद भी नामा0 को बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपने आदेश में ग्राम सभा प्रस्ताव संख्या 21 दिनांक 15.08.2001 के अनुसार अस्वीकार किया जाना प्रकट किया जबकि प्रस्ताव संख्या 21 दिनांक 15.08.2001 में प्रस्ताव किया गया कि ग्राम ककलाना के करीमा/नियत खां का एतराज होने के कारण नामा0 संख्या 123 व 124 अस्वीकार का अंकन किया है। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा एक अपील मा0 न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने राजस्व अपील संख्या 04/2001 उनवान इब्राहिम खां बनाम ग्राम पंचायत मायापुर जरिये सरपंच ग्रा0प0 मायापुर व अन्य में दिनांक 29.03.2005 तथा राजस्व अपील संख्या 05/2001 उनवान इब्राहिम खां बनाम

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

ग्राम पंचायत मायापुर जरिये सरपंच ग्रा0प0 मायापुर व अन्य में दिनांक 29.03.2005 को पारित कर अपीलाधीन नामा0 संख्या क्रमशः 123 व 124 दिनांक 15.08.2001 को निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि पूर्वक पूर्व बैनामा अनुसार नामा0 स्वीकृत किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए प्रति तहसीलदार अजमेर को प्रेषित की है।

अतः माननीय न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के राजस्व अपील संख्या 04/2001 एवं 05/2001में पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 29.03.2005 की पालना में प्रकरण दर्ज किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस आदि जारी किये गये एवं अपीलान्ट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा पटवारी हल्का ककलाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई।

पटवारी हल्का ककलाना की रिपोर्ट के अनुसार– ग्राम देदूला (पूर्व में ककलाना) के वर्किंग ख0न0 1235 रकबा 01–06–10 नये बने ख0न0 42 रकबा 0.22 वर्किंग ख0न0 1334 रकबा 01–00–10 नये बने ख0न0 235 रकबा 0.17 वर्किंग ख0न0 1341 रकबा 00–02–10 नये ख0न0 239 रकबा 0.02 वर्किंग ख0न0 1346 रकबा 00–17–10 ख0न0 233 रकबा 0.12 वर्किंग ख0न0 1354 रकबा 00–17–10 नये ख0न0 202 रकबा 0.14 वर्किंग ख0न0 1236 रकबा 00–03–10 नये ख0न0 41 रकबा 0.03 वर्किंग ख0न0 1343 रकबा 00–08–10 नये ख0न0 236 रकबा 0.01 नये ख0न0 2372 रकबा 0.02 नये ख0न0 242 रकबा 0.03 नये ख0न0 240 रकबा 0.01 ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौका जांच में मौके पर नवीन ख0न0 42 रकबा 0.22, 235 रकबा 0.17, 239 रकबा 0.02, 233 रकबा 0.12 ख0न0 202 रकबा 0.14 पर खातेदार करीम खां पुत्र अब्दुल खां कौम कायमखानी 1/3 हि0 नूरी पत्नी उमर खां हि0 1/18 अनायत खां पुत्र उमर खा का 1/9 हि0 कौम कायमखानी व केता इब्राहिम खां पुत्र सुल्तान खां का 1/2 हि0 कौम चीता सा. देह खातेदार का कब्जाकाश्त है। ख0न0 236 रकबा 0.01, 237 रकबा 0.02, 242 रकबा 0.03, 240 रकबा 0.01 पर खातेदार का 1/12 हि0 नूरी पत्नी उमर खां हि0 1/72 अनायत खां पुत्र उमर खां हि0 1/36 इब्राहिम पुत्र सुल्तान खां 3/72 हि0 व ख0न0 41 रकबा 0.03 पर खातेदार नूरी पत्नी उमर खां 1/30 अनायत खां पुत्र उमर खां हि0 1/15 व केता इब्राहिम पुत्र सुल्तान खां कौम चीता का 3/10 हि0 खातेदार करीम खां पुत्र अब्दुल का 1/15 हि0 कुल 3/5 शेष खातेदार का इन्द्राज अनुसार कब्जाकाश्त है।

भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तबीजी के राजस्व ग्राम देदूला (पूर्व में ग्राम ककलाना का हिस्सा) के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नामान्तरकरण संख्या 123 व 124 दिनांक 15.08.2001 में वर्णित खसरा नम्बरान के हाल ख0न0 निम्न प्रकार हैं–

साबिक		हाल	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
1235	01–06–10	42	0.22
1334	01–00–10	235	0.17
1341	00–02–10	239	0.02
1346	00–15–10	233	0.12
1354	00–17–10	202	0.14
1236	00–03–10	41	0.03
1343	00–08–10	236	0.01
		237	0.02
		242	0.03
		240	0.01

तहसीलदार
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

हमने पत्रावली एवं पटवारी हल्का ककलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार– पंजिबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 12.02.2001 में वर्णित भूमि पर क्रेता इब्राहिम पुत्र सुल्तान खां का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाधीन नामा संख्या 123 व 124 को निरस्त किया गया है, जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय में आदिनांक तक किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ककलाना द्वारा किये गये नामा० संख्या 123, 124 दिनांक 15.08.2001 को बिना किसी आधार के निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः नामा० संख्या 123, 124 दिनांक 15.08.2001 के सम्बन्ध में विचाराधीन रिमाण्ड प्रकरण संख्या 32(अ)/07 व 32/7 को इसी स्तर पर समाप्त कर पटवारी हल्का ककलाना को आदेशित किया जाता है, कि प्रकरण में उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पंजिबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 12.02.2001 में वर्णित विक्रेता द्वारा विक्रय की गई अपीलान्ट (क्रेता) के कब्जाकाश्त की भूमि का नामा० क्रेता के पक्ष में दर्ज कर मौके पर कब्जा सम्भला कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 20/7/22 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर
क्रमांक/भू.अ./20 22 / 9526 दिनांक 20/9/22
ककलाना
मूल ही मू.अभि./... ... पालना रिपोर्ट अविलम्ब ... प्रस्तुत करें।
तहसीलदार, अजमेर